केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की नियुक्ति

3783. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए नियमित पूर्णकालिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अवैतनिक आर्यूवेदिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो दिल्ली में उसकी संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्यक पर मासिक कितना व्यय किया जाता है ;

(घ) यदि नियमित नियुक्ति की जाती है तो प्रत्येक विशेषज्ञ पर सरकार को कितना कम व्यय करना पड़ेगा ; और

(ङ) क्या सरकार इन पदों पर नियमित नियुक्ति करेगी और इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत 3-2-1979 से तदर्थ आधार पर दो पूर्णकालिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं

(ग) और (घ) 1-2-1969 से एक अवैतनिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। अवैतनिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को हर महीने 930 रु० की समेकित राशि दी जा रही है और नियमित विशेषज्ञ को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर 1885 रुपये का भुगतान किया जाता है ।

(ङ) सरकार ने इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिये पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

रोगियों के सम्बन्धियों द्वारा रक्तदान

3784. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग, अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में दाखिल रोगियों के संबंधियों से रोगियों के आपरेशनों के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले ही रक्त दान करने के लिए कहा जाता है ;

(ख) जनवरी, 1980 से ऐसे रोगियों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके लिए उनके संबंधियों से रक्त लिया गया था । लेकिन बाद में बिना आपरेशन किये डिस्चार्ज कर दिया गया था ।

(ग) ऐसे रोगियों की संख्या कितनी है जिन्हें बिना आपरेशन के डिस्चार्ज कर दिया गया था क्योंकि वे उस अवधि में रक्त की व्यवस्था न कर सके ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि जब तक रक्त दान न किया जाये तब तक रोगियों का आपरेशन न किया जाये ; और

(ङ) ऐसे रोगियों के बारे में रक्त की क्या व्यवस्था है जिनके सम्बन्धी रक्त देने के योग्य नही हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सफदरजंग अस्पताल तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किसी को ऐसा नहीं कहा गया है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मे दो व्यक्तियों को कहा गया जिनमें से एक की भर्ती होने के थोड़े समय बाद मृत्यु हो गई तथा दूसरे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी और उसकी अभी भी अनुवर्ती जांच की जा रही है उसे आपरेशन के वक्त रक्त की व्यवस्था करने के लिए नहीं कहा जाएगा ।

(ग) शून्य ।

(घ) जी नही ।

(ङ) रिश्तेदारों की गैरमौजूदगी अथवा रिश्तेदारों को स्वस्थता की दृष्टि से अयोग्य पाये जाने की सूरत में रोगियों को रक्त निःशुल्क दिया जाता है ।

रेल दुर्घटनाओं पर सीकरी समिति का प्रतिवेदन

3785. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं के संबंध में सीकरी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में निहित सिफारिशो तथा तथ्यों पर

विचार कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ; और

(ख) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा दूसरे क्या ऐहतीयाती उपाय किये गये है और क्या सरकार दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कठोर दंड दिये जाने की व्यवस्था करेगी ताकि लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीकरी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31-5-1980 को प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है । स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

(ख) दुर्घटनाओं में अधिक से अधिक कमी करने के लिए नियमित रूप से एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं । पहियों, धुरो और पटरियों के लिए अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर, रेल इंजनों में सतर्कता, नियंत्रण उपाय, रेल परिपथन, धुरा काउंटर, स्वचल सिगनल प्रणाली, पटरियों की अलार्ट, बहुसंकेती अपर क्वाड्रेंट रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था, रूट रिले अन्तर्याकन, स्वचल चेतावनी प्रणाली जैसी तकनीकी किस्म की विभिन्न प्रौद्योगिक युक्तिया आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हे उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है । दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है ।

Captive Thermal Plant in Talcher

3786. SHRI K. P. SINGH DEO:
SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Orissa have sought clearance from the Centre to allow M/s. BALCO to use the spare capacity of Kirindalle-Kottavalasa railway line to help setting up a captive thermal plant in Talcher;

(b) if so, whether the permission has been accorded; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Average Waiting Time for a Berth at Bombay Port

3787. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the average waiting time at Bombay Port for berth in the last three months and what is the average loss due to this;

(b) whether most of the equipment at the Port is out-dated and there is no addition thereto in the last five years;

(c) whether Government are contemplating to permit the port trust authorities to implement mechanisation of the process of transferring the cargo from transit sheds;

(d) how many packages and other heavy articles are lying uncleared in port trust warehouses at present;

(e) tonnage and value of materials lying in the warehouses belonging to (i) S.T.C., (ii) MMTC, (iii) SAIL, (iv) BHEL and other large public undertakings and since when;

(f) what is the berth occupancy of the Bombay Port and what should be the optimum; and

(g) steps Government propose to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Average waiting time at Bombay Port was as follows:—

(In days)

Month	Fertilizer vessels	Other vessels
March, 1980	4·7	1·3
April 1980	2·9	0·5
May 1980	4·5	0·1